

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2019—माघ 5, शक 1940

वित्त विभाग
(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2019

क्र. 46-22-2013-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13-25-2017-आनीविइ-चार, दिनांक 10 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

- (1) संशोधन क्रमांक 1 में शब्द तथा अंक “31 जनवरी, 2019” के स्थान पर शब्द तथा अंक “30 अप्रैल, 2019” स्थापित किया जाये.
- (2) संशोधन क्रमांक 2 में शब्द तथा अंक “31 जनवरी, 2019” के स्थान पर शब्द तथा अंक “30 अप्रैल, 2019” स्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2019

पृ. क्र. 47-22-2013-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज गोविल, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 25th January 2019

No. 46-22-2013-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-I of the Constitution of India, read with Section 3 of Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhinyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the department Notification No. 13-25-2017EPAU-IV, Dated 10th January, 2018, Namely:—

AMENDMENTS

IN the said Notification,—

- (1) In Amendment Serial No. 1 of the Notification, for the words and figure “31st January, 2019 the words and figures” 30th April, 2019 shall be substituted.
- (2) In Amendment Serial No. 2 of the Notification, for the words and figure “31st January, 2019 the words and figures” 30th April, 2019 shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ GOVIL, Principal Secy.